विभागीय योजनाएं

- गॉव की बेटी
- प्रतिभा किरण
- विक्रमादित्य योजना
- एकीकृत छात्रवृत्ति योजना
- संस्कृत छात्रवृत्ति
- अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों को पी.एचडी शोध
- दिव्यांग विद्यार्थियों को शोध छात्रवृत्ति
- दिव्यांग विद्यार्थियों को निर्वाह एवं परिवहनभत्ता
- प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु छात
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
- आवास भत्ता सहायता योजना
- संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी
- सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
- विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना
- महाविद्यालयीन छात्रावास
- विज्ञान एवं सामयिक विषयों में प्रवेश पर प्रोत्साहन
- महाविद्यालयीन पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति
- आवास सहायता योजना
- अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी संस्थाओं द
- सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को
- पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति
- पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति
- पिछड़ा वर्ग बालक एवं बालिका छात्रावास
- पिछड़ा वर्ग छात्रगृह योजना
- अल्पसंख्यक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- अल्पसंख्यक मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना
- (अ) निःशक्तजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (ब)निः
- पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति
- उच्च शिक्षा हेतु दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता
- सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
- शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना
- मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना

प्रस्तावना

उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान करने के लिये प्रयासरत हैं। इस हेतु विभाग द्वारा अनेकों प्रयास निरन्तर किये जा रहे है। विगत 15 वर्षो में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। शासकीय महाविद्यालयों का विस्तार सुदूर आदिवासी अंचलों तक हो गया है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुलभतापूर्वक प्राप्त हो, इसके लिये तहसील एवं ग्राम स्तर के महाविद्यालयों में भी अधोसंरचना विकास का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

हमारे युवा प्रतिभाशाली हैं। परन्तु, कई बार अपनी आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं । म.प्र. शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा अनेकों योजनाएँ संचालित हैं जिनका लाभ विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी प्राप्त कर सकते हैं। कई बार समुचित जानकारी या सूचना नही होने के कारण हमारे विद्यार्थी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। अतः इस सूचना पुस्तिका में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। योजना की विस्तृत जानकारी हेतु विद्यार्थियों को अपनी संस्था के प्रमुख या योजना संचालित करने वाले नोडल विभाग से संपर्क करना होगा।

सामान्यतः समस्त हितग्राही योजनाओं में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन हो गयी है। आवेदन की प्रक्रिया सामान्य रूप से जुलाई माह से लेकर नवम्बर माह तक प्रतिवर्ष संपादित होती है। परन्तु, किसी विशेष योजना के लिये निर्धारित तिथियों की जानकारी विद्यार्थी को आवेदन आमंत्रित किये जाने वाले विज्ञापन या छात्रवृत्ति के पोर्टल से ज्ञात होगी। इसी प्रकार योजनाओं की पात्रता, राशि या अन्य प्रावधानों में संशोधन किया जाता रहता है। अतः किसी योजना के संदर्भ में अद्यतन जानकारी ही नोडल विभाग से ही प्राप्त होगी।

संस्था प्रमुखों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये नोडल विभागों से संचालित होने वाली योजनाओं संबंधी सूचना भी महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करें।

आशा है, इस पुस्तिका में दी गई जानकारी विद्यार्थियों के हितार्थ होगी।

गॉंव की बेटी

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•छात्रा गाँव की निवासी हो। •गाँव में रहकर गाँव की पाठशाला से 12 वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो। •शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो।	रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह की राशि रूपये 5000/- प्रतिवर्ष	•निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते हैं । •स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है। •स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है। •यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।

प्रतिभा किरण

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•छात्रा शहर की निवासी हो। •गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली हो। •शहर में रहकर शहर की पाठशाला से 12 वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण हो। •शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो।	रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह की राशि रूपये 5000/- प्रतिवर्ष	•निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते है । •स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है। •स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है। •यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।

विक्रमादित्य योजना

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। •सामान्य वर्ग का छात्र हो। •12वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो। •छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय 54,,000/से अधिक न हो। •शासकीय/ अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो।	प्रति वर्ष लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों को मिलाकर अधिकतम रूपये 2500/- तक के शुल्क से छूट का प्रावधान है।	•निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते है । •स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है। •स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है।

एकीकृत छात्रवृत्ति योजना

आवेदक की पात्रता

- संबंधित कक्षा में किसी शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत हो।
- माता-पिता/अभिभावकों की पारिवारिक वार्षिक आय राशि रू 54000/- से अधिक न हो।

अन्य अर्हता-

- पी.एच-डी: स्नातकोत्तर में 55 प्रतिशत अंक।
- स्नातकोत्तर: स्नातक में 55 प्रतिशत अंक।
- खेलकूद: मध्यप्रदेश की स्कूल टीम में राष्ट्रीय खेल दल के सदस्य हों, अथवा प्रदेश की व्यस्क टीम के सदस्य हों अथवा प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों में से किसी पर रहे हों
- स्नातक (योग्यता) माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक।
- स्नातक (योग्यता सह साधनः माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक।

लाभ/राशि

छात्रवृत्ति का प्रकार	**राशि प्रतिमाह**	**कोटा**
पी.एच.डी.	600/-	18
एम.फिल.	500/-	14
स्नातकोत्तर(केवल योग्यता आधारित)	500/-	73
स्नातकोत्तर(योग्यता सह-साधन आधारित)	500/-	73
खेलकूद	300/-	22
स्नातक(केवल योग्यता आधारित)	300/-	146
स्नातक(योग्यता सहसाधन आधारित)	300/-	146

आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया

- उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है।
- प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा की स्वीकृति से राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदाय की जाती है।
- छात्रवृत्ति 10 माह के लिये प्रदान की जाती है।

संस्कृत छात्रवृत्ति

<table>
<tr><th>आवेदक की पात्रता</th><th>लाभ/राशि</th><th>आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया</th></tr>
<tr>
<td>

- संबंधित कक्षा में किसी शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत हो।
- माता-पिता/अभिभावकों की पारिवारिक वार्षिक आय राशि रू 54000/- से अधिक न हो।
- अन्य अर्हता-
- स्नातकोत्तरः उपाधि परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक
- आचार्यः शास्त्री अथवा समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक
- स्नातकः 10+2 या समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक
- शास्त्रीः पूर्व मध्यमा में 45 प्रतिशत अंक
- उत्तर मध्यमाः प्रथमा अथवा समकक्ष में 45 प्रतिशत अंक
- पूर्व मध्यमाः 5वीं परीक्षा में योग्यता के आधार पर

</td>
<td>
<table>
<tr><th>छात्रवृत्ति का प्रकार</th><th>राशि प्रतिमाह</th><th>कोटा</th></tr>
<tr><td>स्नातकोत्तर (एम.ए. क्लासिक)</td><td>300/-</td><td>07</td></tr>
<tr><td>आचार्य</td><td>300/-</td><td>07</td></tr>
<tr><td>स्नातक (बी.ए. क्लासिक)</td><td>300/-</td><td>11</td></tr>
<tr><td>शास्त्री</td><td>300/-</td><td>18</td></tr>
<tr><td>उत्तर मध्यमा</td><td>300/-</td><td>33</td></tr>
<tr><td>पूर्व मध्यमा</td><td>300/-</td><td>33</td></tr>
<tr><td>प्रथमा</td><td>300/-</td><td>91</td></tr>
</table>
</td>
<td>

- उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है।
- प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा की स्वीकृति से राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदाय की जाती है।
- छात्रवृत्ति 10 माह के लिये प्रदान की जाती है।

</td>
</tr>
</table>

अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों को पी.एचडी शोध

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। •पी.एच.डी के शोर्ध कार्य हेतु भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में शोध उपाधि समिति में साक्षात्कार के उपरान्त पंजीयन कराया हो एवं पंजीयन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो। •स्नातकोत्तर उपाधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियो के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हताकारी अंक प्राप्त किये हों। •विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र कलेक्टर/सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया हो। •अभिभावक की वार्षिक आय सीमा मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो, जो वर्तमान में रूपये 3 लाख है।	राशि रू 16000/- प्रतिमाह कुल राशि रूपये 1,92,000/- प्रतिवर्ष ।	•उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है। •प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है। •आयुक्त, उच्च शिक्षा की स्वीकृति से राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदाय की जाती है। •प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के लिये 100 एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 56 छात्रवृत्तियों का कोटा निर्धारित है।

दिव्यांग विद्यार्थियों को शोध छात्रवृत्ति

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। •पी.एच.डी के शोर्ध कार्य हेतु भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में शोध उपाधि समिति में साक्षात्कार के उपरान्त पंजीयन कराया हो एवं पंजीयन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो। •स्नातकोत्तर उपाधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हताकारी अंक प्राप्त किये हो। •माता/पिता /पालको की वार्षिक आय रूपये 1.00 लाख से अधिक न हो। •सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो।	राशि रू 16000/- प्रतिमाह कुल राशि रूपये 1,92,000/- प्रतिवर्ष ।	•उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है। •प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है। •आयुक्त, उच्च शिक्षा की स्वीकृति से राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदाय की जाती है। •प्रतिवर्ष 10 विद्यार्थियों को शोध उपाधि के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

दिव्यांग विद्यार्थियों को निर्वाह एवं परिवहन भत्त

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•शासकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर/प्रबंधन विषय का विद्यार्थी हो। •माता-पिता /पालकों की वार्षिक आय राशि रूपये 1.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो। •सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया हो।	•कम्प्यूटर एवं प्रंबधन में ली जाने वाली फीस की प्रतिपूर्ति •राशि रूपये 1500/- प्रतिमाह निर्वाह भत्ता •नगर निगम क्षेत्र में राशि रूपये 500/- तथा निगम पालिका क्षेत्र में रूपये 300/- प्रतिमाह परिवहन भत्ता प्रदान किया जाता है।	•उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है। •प्राप्त आवेदनों का परीक्षण संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा किया जाता है। •संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक की स्वीकृति से राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदाय की जाती है। •प्रतिवर्ष 2000 विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है।

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। **स्नातकोत्तर उपाधि हेतु-** •मध्यप्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उपाधि में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त हो। **पी.एच.डी. शोध उपाधि हेतु-** •संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक एवं मध्यप्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय से संबंधित विषय में दो वर्ष का अध्यापन अनुभव/एम.फिल उपाधि हो। •आवेदनकर्ता की समस्त स्रोत्रों से वार्षिक पारिवारिक आय 5.00 लाख से अधिक नहीं हो। •आवेदनकर्ता की उम्र स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिये 25 वर्ष एवं पी.एच.डी.शोध उपाधि के लिये 35 वर्ष से अधिक न हो। •विदेश में अध्ययन के पाठयक्रम में प्रवेश प्राप्त हो चुका हो। •जी.आर.ई./जी.एम..ए.टी/टी.ओ.एफ.ई्र.एल./ आई.ई.एल.टी.एस.की अर्हता प्राप्त हो।	वास्तविक व्यय या वार्षिक $38,000 के साथ $2,000 (किताबें, आवश्यक उपकरण, टंकण, शोध प्रबंध की बाइंडिग एवं अन्य कार्य हेतु), इस प्रकार कुल 40,000 अमेरिकी डाॅलर या उसके समतुल्य अन्य देश की करेंसी में प्रदान किया जाता है। इस पूरी राशि का बाॅण्ड आवेदक से प्राप्त किया जाता है।	•उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा वर्ष में दो बार विज्ञापन जारी किया जाता है। •प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है। •प्रतिवर्ष 20 विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है।

अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थी	प्रतिवर्ष रूपये 1500/- की पुस्तकें तथा रूपये 500/- की स्टेशनरी	•उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी के माध्यम से पुस्तकें प्रदाय की जाती हैं। •स्टेशनरी का प्रदाय महाविद्यालय द्वारा किया जाता है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो। •अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत होने पर माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा रूपये 6.00 लाख तक की है। शासकीय संस्थाओं के लिये कोई आय सीमा नही है।	•व्यवासायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग द्वारा शुल्क निर्धारित होने पर पूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति •शासकीय संस्थानों के पाठ्यक्रम में निर्धारित पूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति •अशासकीय महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में रूपये 2.50 लाख की आय सीमा तक अनिवार्य शुल्क की एवं रूपये 2.50 लाख से रूपये 6.00 लाख आय सीमा तक के विद्यार्थियों को अनिवार्य शुल्कों के आधे शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। •स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में प्रतिमाह निर्वाह भत्ता- गैर छात्रावासी-रूपये 300/- छात्रावासी-रूपये 570/-	•पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/ पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा। •स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है।

आवास भत्ता सहायता योजना

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो। •शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश हो। •किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश न हो । •विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा के अनुसार होगी, जो वर्तमान में रूपये 6.00 लाख प्रतिवर्ष है। •एक ही स्थानीय निकाय (नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालय या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित नहीं हो।	•भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन नगरों में रू. 2000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह •जिला मुख्यालयों पर रू. 1250/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह •तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर रू. 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह	•पोर्टलhttp://scholarshipportal.mp.nic.in/ पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा। •स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है। •शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य अपनी संस्था के स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे। अशासकीय संस्था हेतु शासकीय संस्था के प्राचार्य संबंद्ध अशासकीय संस्थाओं के स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे। •निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि का वहन विद्यार्थी द्वारा स्वयं करना होगा। •अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा परिणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र हो जायेंगे।

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•आवेदक/अभ्यर्थी म.प्र. का मूल निवासी हो एवं म.प्र. के अनुसूचित जाति वर्ग का हो। •स्नातक स्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो। •अभ्यर्थी के परिवार की कुल वार्षिक आय रू. 5.00 लाख से अधिक ना हो । •यदि अभ्यर्थी बिना योजना का लाभ लिये संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है एवं योजना में निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी योजना में निहित प्रावधान अनुसार पात्रता होगी। •यदि किसी अभ्यर्थी ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की पात्रता प्राप्त की है तथा वह साक्षात्कार की तैयारी हेतु नोडल विभाग द्वारा निर्धारित पैनल की किसी कोचिंग संस्था में प्रवेश लेना चाहता है अथवा प्रवेश लिया गया है तो उसे साक्षात्कार हेतु कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी ।	<u>प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के लिये-</u> •दोनों परीक्षाओं के लिये सम्मिलित रूप से कुल 12 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। •शिष्यवृत्ति प्रतिमाह रू.12500/- •कोचिंग शुल्क हेतु अधिकतम व्यय - •हिन्दी माध्यम-रू.1.25 लाख •अंग्रेजी माध्यम-रू.1.50 लाख •पुस्तकों हेतु रू.15000/- <u>साक्षात्कार की तैयारी के लिये -</u> •शिष्यवृत्ति रू.12500/- प्रतिमाह (एक माह हेतु) •कोचिंग शुल्क होने पर प्रतिमाह रूपये 20,000/- अधिकतम	•स्नातक स्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों से प्राप्त आवेदन के आधार पर निर्धारित लक्ष्य सीमा तक आवेदकों का चयन किया जाएगां । •आवेदन नोडल विभाग के मुख्यालय में करना होगा।

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

<table>
<tr><th>आवेदक की पात्रता</th><th>लाभ/राशि</th><th>आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया</th></tr>
<tr>
<td>अनुसूचित जाति के ऐसे आवेदक जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग अथवा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी स्तर पर परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
अखिल भारतीय सेवा परीक्षा में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु आय सीमा का बंधन नहीं है, किन्तु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिये आवेदकों के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रूपये 5.00 लाख से अधिक न हो।</td>
<td>प्रोत्साहन राशि (रूपये में)
<table><tr><th>परीक्षाएं</th><th>संघ लोक सेवा आयोग के लिये</th></tr><tr><td>प्रारंभिक</td><td>40,000/-</td></tr><tr><td>मुख्य</td><td>60,000/-</td></tr></table></td>
<td>आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जाति, आय एवं मूल निवासी प्रमाण पत्रों एवं परीक्षा में सफल होने का प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगें।
परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर दूसरी बार सफलता प्राप्त करने पर उल्लेखित राशि का 50 प्रतिशत देय होगा।
संघ लोक सेवा आयोग एंव मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर केवल एक ही परीक्षा के लिये प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी।</td>
</tr>
</table>

विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•म.प्र. में निवासरत अनुसूचित जाति संवर्ग का हो। •अनुविभागीय अधिकारी राजस्व या उसके समकक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र हो। •आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 35 वर्ष से कम हो। •आवेदक या उसके अभिभावक की सभी स्त्रोतों से सकल वार्षिक आय रूपये 6 लाख से अधिक न हो।	•प्रतिवर्ष शिक्षण शुल्क वास्तविक अथवा अधिकतम 40,000 हजार यू.एस. डालर । •9,000 यू.एस.डालर निर्वाह भत्ता प्रतिवर्ष । •1000 यू.एस. डालर आकस्मिकता भत्ता प्रतिवर्ष । •अध्ययन करने वाले देश तक आने जाने का वास्तविक यात्रा भत्ता एवं वीजा शुल्क। •अध्ययन करने वाली संस्था की QS/Times world रैकिंग 500 या उससे कम होना अनिवार्य है।	•नोडल विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर से विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जाते है। •प्रतिवर्ष अधिकतम 50 विद्यार्थी चयनित किये जाएगे।

महाविद्यालयीन छात्रावास

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में प्रवेश हेतु निकट के महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लेना आवश्यक है। •अभिभावकों की आय सीमा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा के अनुरूप होगी जो वर्तमान में रूपये 6.00 लाख वार्षिक है।	•मैस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति बालक रू. 1090/- एवं बालिका रू.1130/- प्रतिमाह। •वार्षिक आगमन भत्ता- •प्रवेश के प्रथम वर्ष में रूपये 1500/- •प्रवेश के द्वितीय वर्ष में रूपये 250/- •प्रवेश के तृतीय वर्ष में रूपये 250/-	•नोडल विभाग के विभागीय जिला अधिकारी स्तर पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

विज्ञान एवं सामयिक विषयों में प्रवेश पर प्रोत्साहन

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
जनजातीय वर्ग का विद्यार्थी जिसने 12 वीं उत्तीर्ण कर स्नातक कक्षा हेतु विज्ञान संकाय में प्रवेश लिया हो।	रूपये 3000/-	•जिले के महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की सूची, बैंक खाता नंबर आदि विभागीय जिला अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है एवं प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रोत्साहन की राशि बैंक खाते में जारी की जाती है।

महाविद्यालयीन पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में प्रवेश हेतु निकट के महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लेना आवश्यक है। •अभिभावकों की आय सीमा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा के अनुरूप होगी जो वर्तमान में रूपये 6.00 लाख वार्षिक है।	•मैस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति बालक रू. 1090/- एवं बालिका रू.1130/- प्रतिमाह। •वार्षिक आगमन भत्ता- •प्रवेश के प्रथम वर्ष में रूपये 1500/- •प्रवेश के द्वितीय वर्ष में रूपये 250/- •प्रवेश के तृतीय वर्ष में रूपये 250/-	•नोडल विभाग के विभागीय जिला अधिकारी स्तर पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

आवास सहायता योजना

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•विद्यार्थी शासकीय/मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेशित हो। •विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग में म.प्र. का मूल निवासी हो। •एक ही स्थानीय निकाय/नगरीय/ग्राम पंचायत की भौगोलिक सा◌ीमा में महाविद्यालय या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित न हो। •पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निधारित आय-सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे। •विद्यार्थी किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेशित न हो।	संभाग स्तर पर प्रतिमाह रूपये 2000/- जिला स्तर पर प्रतिमाह रूपये 1250/- विकासखण्ड स्तर पर प्रतिमाह रूपये 1000/- (अधिकतम 12 माह के लिये)	•पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/ पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा। •प्राचार्य द्वारा सत्यापन एवं स्वीकृति उपरांत नोडल विभाग द्वारा बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।

अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी संस्थाओं द

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•आवेदक जनजातीय वर्ग का हो •मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा/स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण हो।	•कोचिंग की फीसः अधिकतम रूपये 2.00 लाख या कोचिंग की वास्तविक फीस, जो भी कम हो। •प्रतिमाह रूपये 12500/- शिष्यवृत्ति अधिकतम 18 माह तक । •पुस्तकों के क्रय हेतु रूपये 15000/- एक मुश्त	•नोडल विभाग के मुख्यालय स्तर से दैनिक समाचार पत्रों/आनलाईन के माध्यम से विज्ञापन जारी किया जाता है। प्राप्त आवेदनों में से म.प्र. लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को सीधे चयनित किया जाता है, शेष अभ्यर्थियों का चयन स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है। अधिकतम 100 अभ्यर्थियों का चयन करते हुये दिल्ली स्थित चिन्हित निर्जी कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग की सुविधा दी जाती है।

सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को

<table>
<tr><th>आवेदक की पात्रता</th><th>लाभ/राशि</th><th>आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td>जनजातीय वर्ग के सभी अभ्यर्थी जिन्होंने म.प्र. लोक सेवा/संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित (सिविल सेवा) की प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार उत्तीर्ण की हो।</td><td>प्रोत्साहन राशि (रूपये में)

<table>
<tr><th>परीक्षाए</th><th>संघ लोक सेवा आयोग के लिये</th><th>म.प्र. लोक सेवा आयोग के लिये</th></tr>
<tr><td>प्रारंभिक</td><td>40,000/-</td><td>20,000/-</td></tr>
<tr><td>मुख्य</td><td>60,000/-</td><td>30,000/-</td></tr>
<tr><td>साक्षात्कार</td><td>50,000/-</td><td>25,000/</td></tr>
</table></td><td>जिला स्तर पर नोडल विभाग के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक को आवेदन प्रस्तुत किये जाते है।
पात्रता के आधार पर अभ्यर्थी के बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जाता है।</td></tr>
</table>

पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति

<table>
<tr><th>आवेदक की पात्रता</th><th>लाभ/राशि</th><th>आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया</th></tr>
<tr>
<td>

- आवेदक पिछड़ा वर्ग में मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- पिछली कक्षा में उत्तीर्ण हो।
- माता/पिता/अभिभावकों की कुल वार्षिक आय रूपये 3,00,000/- से अधिक न हो।

</td>
<td>

प्रोत्साहन राशि (रूपये में)

<table>
<tr><th>कक्षा</th><th>छात्रावासी</th><th>गैर छात्रावासी</th></tr>
<tr><td>स्नातक</td><td>400/-</td><td>230/-</td></tr>
<tr><td>स्नातकोत्तर</td><td>450/-</td><td>230/-</td></tr>
<tr><td>एम.फिल, पी.एच. डी.</td><td>850/-</td><td>380/-</td></tr>
</table>

- अनिवार्य रूप से विद्यार्थी द्वारा दी जाने वाली गैर वापिसी योग्य शुल्क की प्रतिपूर्ति
- शासकीय महाविद्यालय/शासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठयक्रमों के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति।
- नामांकन/पंजीयन, शिक्षण, खेलकूद, यूनिफार्म, पुस्तकालय, पत्र-पत्रिकाएँ, चिकित्सा जाँच आदि के फीस का भुगतान ।

</td>
<td>

- पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/ पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।
- स्वीकृति उपरांत नोडल विभाग द्वारा बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।

</td>
</tr>
</table>

पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जिनका विदेशों में विशेष क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठयक्रमों/शोध उपाधि एवं शोध उपाधि उपरांत शोध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये चयन हुआ है। •शोध उपाधि उपरांत अध्ययन हेतु संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी एवं संबंधित क्षेत्र में अनुभव के साथ शोध उपाधि (पी.एच.डी.) •शोध उपाधि (पी.एच.डी.) हेतु संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी एवं संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अध्यापन/ शोध/व्यावसायिक अनुभव/एम.फिल उपाधि । •आवेदन दिये जाने वाले वर्ष की एक जनवरी को 35 वर्ष से कम विशेष प्रकरणों में समिति द्वारा 10 वर्षो तक शिथिलनीय। •नियोजित उम्मीदवार की अथवा उसके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय पिछड़े वर्ग के लिए क्रीमिलेयर हेतु निर्धारित आयसीमा से अधिक नही होना चाहिये, जो वर्तमान में रू 8 लाख है। . •माता-पिता अथवा अभिभावक के एक से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। छात्रवृत्ति केवल एक बार ही देय होगी।	•योजना के तहत विदेश में अध्ययन के लिये कुल-10 छात्र/छात्राओं को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। •सभी पाठयक्रमों के लिये वार्षिक निर्वाह भत्ता 7700 अमरीकी डालर, इंग्लैड में अध्ययन के सभी स्तरों के पाठयक्रमों के लिये 5000 पाउण्ड स्टर्लिंग। •शुल्क और बीमा प्रीमियम- वास्तविक खर्च दिया जाएगा। •आकस्मिक भत्ता -500 अमरीकन डालर और इंग्लैंड में 325 पाउण्ड स्टर्लिंग वार्षिक देय होगा। •पोल टैक्स-जहा ॅ कही देय होगा, वास्तविक खर्च देय होगा।ै •लघुतम वायुमार्ग से इकोनॉमी दर्जे का वायुयान किराया	•नोडल विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है। •विज्ञापन में निर्धारित तिथि तक आवेदन आयुक्त, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म.प्र. को प्रेषित करना होता है।

पिछड़ा वर्ग बालक एवं बालिका छात्रावास

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•स्थानीय शिक्षण संस्था में नियमित विद्‌यार्थी हो । •छात्रावास में प्रवेश हेतु शैक्षणिक संस्था के प्रमुख का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। •गतवर्ष की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण एवं उत्तम आचरण होने पर प्रवेश दिया जावेगा।	निःशुल्क आवासीय सुविधा।	•छात्रावास में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रारूप में नोडल विभाग के विभागीय जिला अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। •छात्रावास में प्रवेश चयन समिति द्‌वारा चयन उपरान्त दिया जावेगा।

पिछड़ा वर्ग छात्रगृह योजना

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•जिले में संचालित विभागीय छात्रावास में स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में छात्रगृह में प्रवेश दिया जावेगा। •योजना अंतर्गत कम से कम 02 या उससे अधिक विद्यार्थियों को छात्रगृह योजना का लाभ प्राप्त होगा। •छात्रगृह में प्रवेश हेतु स्थानीय शिक्षण संस्था में नियमित विद्यार्थी होना अनिवार्य है। •छात्रावास में प्रवेश हेतु शैक्षणिक संस्था के प्रमुख का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। •गतवर्ष की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण एवं उत्तम आचरण होने पर प्रवेश दिया जावेगा।	•तहसील मुख्यालय पर अधिकतम रूपये 3000/-प्रति माह प्रति छात्रगृह किराया । •जिला मुख्यालय पर अधिकतम रूपये 4000/-प्रति माह प्रति छात्रगृह किराया । •संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम रूपये 5000/-प्रति माह प्रति छात्रगृह किराया ।	•हितग्राही चयन प्रक्रिया- छात्रगृह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र छात्रों को अपनी संस्था के प्राचार्य के माध्यम से जिला सहायक संचालक,पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विभाग के जिले के सहायक संचालक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त छात्रगृह की व्यवस्था की जाती है। •सम्पर्क-जिला सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण/संबंधित शिक्षण संस्थान के प्राचार्य

अल्पसंख्यक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•आवेदक म0प्र0 का अल्पसंख्यक वर्ग में मूल निवासी हो •आवेदक के माता-पिता एवं अभिभावक की कुल वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक न हो। •अंतिम अर्हकारी परीक्षा में 50 प्रतिषत से कम अंक न हो	•स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों हेतु अधिकतम रूपये 3000/- प्रति वर्ष प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क दिये जाने का प्रावधान है। •स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रावासी विद्यार्थियो को रूपये 570/- प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रूपये 300/- प्रतिमाह का अनुरक्षण भत्ता •एम.फिल. एवं पी.एच.डी. के छात्रावासी विद्यार्थियों को रूपये 1200/- प्रतिमाह एवं गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रूपये 550/- प्रतिमाह का अनुरक्षण भत्ता •अनुरक्षण भत्ता 10 माह के लिये देय होगा।	आवेदक को भारत सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल http://scholarships.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा

अल्पसंख्यक मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•आवेदक म0प्र0 का अल्पसंख्यक वर्ग में मूल निवासी हो •आवेदक के माता-पिता एवं अभिभावक की कुल वार्षिक आय रु 2.50 लाख से अधिक न हो। •अंतिम अर्हकारी परीक्षा में 50 प्रतिषत से कम अंक न हो।	•छात्रावासी विद्यार्थियों को रूपये 1000/- एवं गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह तक अनुरक्षण भत्ता। •पाठ्यक्रम शुल्क में वास्तविक अथवा रूपये 20,000/- जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति।	आवेदक को भारत सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल http://scholarships.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

(अ) निःशक्तजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (ब)निः

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
(अ) विद्यार्थी म.प्र. का निवासी हो तथा शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। (ब) हायर सेकेण्डरी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के उपरांत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो। (स) 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता वाला विद्यार्थी हो एवं इस हेतु चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।	•अ) छात्रवृत्ति राशि रूपये 200/- प्रतिमाह की दर से 10 माह की राशि रूपये 2000/- प्रतिवर्ष । (ब) एक मुश्त राशि रूपये 3000/-	• स्नातकोत्तर के निःशक्त विद्यार्थियों को नोडल विभाग के संयुक्त संचालक/उप संचालक को आवेदन करना होगा। स्नातक, स्नातकोत्तर के निःशक्त विद्यार्थियों को नोडल विभाग के संयुक्त संचालक/उप संचालक को आवेदन करना होगा।

पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•स्नातक/स्नातकोत्तर पाठयक्रम में अध्ययनरत हो। •अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम पोस्टमैट्रिक हेतु रूपये 2.50 लाख एवं टा ॅप क्लास हेतु रूपये 6.00 लाख हो। •40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता हो।	•छात्रावासी विद्यार्थियों के लिये रूपये 1200/- प्रतिमाह निर्वाह भत्ता । •गैर छात्रावासी के लिये 650/- प्रतिमाह निर्वाह भत्ता। •अनिवार्य एवं गैर वापिसी योग्य शुल्क की प्रतिपूर्ति ।	•भारत सरकार के नेशनल स्कालरशिप पोर्टल http://scholarships.gov.in पर आनलाईन आवेदन करना होगा। •आवेदन संबंधित महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा।

उच्च शिक्षा हेतु दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•म.प्र. का मूल निवासी हो। •40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता हो । •विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो । •12 वीं की शिक्षा के पश्चात कम्पयूटर, प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहा हो।	•शासकीय महाविद्यालय के शिक्षण शुल्क के बराबर शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति । •रूपये 1500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये निर्वाह भत्ता। •स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु नगर निगम क्षेत्र रूपये 500/- प्रतिमाह, नगर पालिका क्षेत्र में रूपये 300/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये परिवहन भत्ता।	•निःशक्त छात्र/छात्रा को अपने संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के प्रमुख को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। •कलेक्टर के द्वारा स्वीकृति जारी की जाएगी।

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
•म.प्र. का मूल निवासी हो। •40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता हो । •विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो । •12 वीं की शिक्षा के पश्चात कम्पयूटर, प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहा हो।	•शासकीय महाविद्यालय के शिक्षण शुल्क के बराबर शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति । •रूपये 1500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये निर्वाह भत्ता। •स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु नगर निगम क्षेत्र रूपये 500/- प्रतिमाह, नगर पालिका क्षेत्र में रूपये 300/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये परिवहन भत्ता।	•निःशक्त छात्र/छात्रा को अपने संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के प्रमुख को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। •कलेक्टर के द्वारा स्वीकृति जारी की जाएगी।

शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना

<table>
<tr><th>आवेदक की पात्रता</th><th>लाभ/राशि</th><th>आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया</th></tr>
<tr>
<td>

पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्री/पत्नी
अधिकतम दो संताने या एक संतान एवं पत्नी

</td>
<td>
<table>
<tr><th>कक्षा</th><th>छात्र</th><th>छात्राएं</th></tr>
<tr><td>स्नातक</td><td>3000/-</td><td>4000/-</td></tr>
<tr><td>स्नातकोत्तर</td><td>5000/-</td><td>6000/-</td></tr>
<tr><td>स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठयक्रम</td><td>6000/-</td><td>8000/-</td></tr>
<tr><td>स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठयक्रम, पी.एच.डी. तथा शोध कार्य</td><td>8000/-</td><td>10000/-</td></tr>
</table>
</td>
<td>

शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन प्रस्तुत करना होगा जो स्वीकृत कर संबंधित पदाभिहित अधिकारी को परीक्षणोपरांत प्रेषित करेगे। (पदाभिहित अधिकारी- शहरी क्षेत्र हेतु आयुक्त नगर निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत)
निजी महाविद्यालयों को प्राप्त आवेदन पत्र प्रमाणीकरण के सहित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय को प्रेषित किया जाएगा तथा अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य उपरोक्तानुसार कार्यवाही करेगें।
संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में म.च्व पद्धति द्वारा हितलाभ राशि प्रेषित की जाएगी।
यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्र/छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकते है।

</td>
</tr>
</table>

मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
• कम से कम एक वर्ष से अभिदाय का संदाह करते हुये पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक हिताधिकारी के शिक्षारत दो संतानों को प्रथम श्रेणाी में उत्तीर्ण होने पर उक्त योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। • म.प्र. के अंतर्गत विश्वविद्यालय से संबद्ध एवं उनके द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को योजना का लाभ देय होता है।	कक्षा / छात्र / छात्राएं: स्नातक — 8000/- — 10000/- स्नातकोत्तर — 10000/- — 12000/- स्नातक स्तर के व्यावसायिक परीक्षा — 4000/- — 4000/- स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक परीक्षा — 6000/- — 6000/-	• शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन प्रस्तुत करना होगा जो स्वीकृत कर संबंधित पदाभिहित अधिकारी को परीक्षणोपरांत प्रेषित करेगे। (पदाभिहित अधिकारी-शहरी क्षेत्र हेतु आयुक्त नगर निगम, अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत) • निजी महाविद्यालयों को प्राप्त आवेदन पत्र प्रमाणीकरण के सहित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय को प्रेषित किया जाएगा तथा अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य उपरोक्तानुसार कार्यवाही करेगें। • संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में म.च्व पद्धति द्वारा हितलाभ राशि प्रेषित की जाएगी। • शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित समान प्रकृति की योजनाओं में से किसी एक योजना का ही लाभ देय होगा ।

कक्षा	छात्र	छात्राएं
स्नातक	8000/-	10000/-
स्नातकोत्तर	10000/-	12000/-
स्नातक स्तर के व्यावसायिक परीक्षा	4000/-	4000/-
स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक परीक्षा	6000/-	6000/-